डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2002—पौष 28, शक 1923

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक 72/परिवहन/2002.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 56 के उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में एवं इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 27/परिवहन/2002 दिनांक 7-1-2002 के तारतम्य में राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट रीति और शर्तों में, मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) के अधीन आवंटित रजिस्ट्रेशन क्रमांकों के स्थान पर और मध्यप्रदेश सीरिज में रजिस्ट्रीकृत या समानुदेशित क्रमांकों के स्थान पर इस अधिनियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में नये रजिस्ट्रेशन क्रमांक पुन: समानुदेशित करने के लिये राज्य के समस्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को निर्देश देती है :—

(1) यह आदेश उक्त नियमों के नियम 56 में उल्लेखित समस्त मोटर वाहनों पर लागू होगा, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 27/परिवहन/2002 दिनांक 7-1-2002 के प्रकाशन दिनांक 7-1-2002 से प्रभावशील होगा, और उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसे मोटरयान के स्वामी को नवीन क्रमांक अभिप्राप्त करना होगा.

(2) यदि स्वामी विहित समय के भीतर नवीन क्रमांक समानुदेशित करने के लिए आवेदन करता है, तो कोई फीस भारित नहीं की जावेगी. राज्य सरकार के आदेश में विहित कालावधि समाप्त होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी नियम 56 के उप नियम (4) के अनुसार कार्यवाही त्रुटिकर्ता वाहन स्वामी के विरुद्ध प्रारंभ करेगा.

(3) आवेदन-पत्र परिवहन आयुक्त द्वारा विहित प्रारूप में होगा जिस पर वाहन स्वामी/आवेदक के हस्ताक्षर होंगे. आवेदन पत्र में वाहन का समस्त विवरण अंकित किया जावेगा.

(4) आवेदन-पत्र के साथ ऐसे यान के स्वामी को वाहन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(5) ऐसे वाहन के स्वामी को वाहन के मूल रजिस्ट्रीकरण तारीख से नवीन क्रमांक हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख तक कर भुगतान के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी.

(6) नवीन क्रमांक अभिप्राप्त करते समय वाहन स्वामी को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 44 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 55 "क" का पालन करना होगा और इस संबंध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उप धारा (6) के उपबंध लागू होंगे.

(7) यदि आवेदन-पत्र विहित कालावधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त हो, तो उक्त नियमों के नियम 56 के उप नियम (6) के अनुसार राशि ली जावेगी.

(8) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा वाहनों के रजिस्ट्रीकरण क्रमांक का पुन: समानुदेशन करने के लिए एवं इस संबंध में कार्य व्यवस्थित रूप से हो, इस संबंध में परिवहन आयुक्त द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये जाएंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2002

क्रमांक 72/परि.वि./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुशरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्या दिनांक 18-1-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

Raipur, the 18th January 2002

NOTIFICATION

No. 72/Transport/2002.—In pursuance of the provisions contained sub-rule (1) of rule 56 of the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 and in continuations of this department notification No. 27/Transport/2002 dated 7-1-2002 the State Government hereby direct all the Registering Authorities of the state to re-assign new registration mark alloted under the Motor-Vehicles Act, 1939. (No. 4 of 1939) and inplace of number registered or assigned in Madhya Pradesh series in the Chhattisgarh State, in the manner and conditions specified below :—

1. This order shall apply to all motor vehicles mentioned in rule 56 of the said Rules and shall be enforced from the date of publication dated 7-1-2002 of this department notification No. 27/Transport/2002 dated 7-1-2002, and the owner of such motor vehicle shall obtain new number within a period mentioned in the said order.

2, No fee shall be charged, if the owner apply within the prescribed time for the assignment of new number. After the expiry of the period prescribed by the order of the State Government, the Registering Authority shall initiate action against the defaulter vehicle owner under sub-rule, 4 of said rule 56.

3. The application shall be made on the form as prescribed by the Transport Commissioner, which shall bear the signature of the owner. All particular of the vehicle shall be given in the application.

4. The owner of such vehicle shall produce the Registration Certificate of the vehicle alongwith the application.

5. The owner of such vehicle shall furnish the information in respect of tax from the date of original registration till the date of submitting the application.

6. The owner has to comply with the provisions of Section. 44 of the Motor Vehicles Act, 1988 and rule 55A of the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, while obtaining the new registartion number and the provisions of sub-section (6) of the Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 shall apply in this respect.

7. If the application is received after the expiry of the prescribed period, than the amount shall be charged according to sub-rule (6) of Rule 56 of the said Rules.

8.. For the assignment of the registration number of the vehicle by the Registration Authority and for ensuring the proper action, the necessary directions shall be issued by the Transport Commissioner from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
R. K. Vij. Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.